डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**
नामहाकिम **श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)**

छोटेलाल पुत्र परसा उम्र 78 जाति जाटव निवासी ग्राम रहल तह0 बाडी

बनाम

रामफूल पुत्र भजरू जाति धोबी निवासी ग्राम विधौली तह0 खेरागढ हाल निवासी नगला पदी विद्यानगर बडे हनुमान मन्दिर के सामने गली नं0 2 दयाल बाग आगरा (यूपी0)
तहसीलदार बाडी भूस्वामी

दावा दावत

मुकदमा नं. **100/2015**
यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय
हाजरी **श्री श्रीलाल रावत एड0** मिनजानिव मुद्दई **श्री अशोक शर्मा एड0**
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी ख0नं0 56 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा बांके ग्राम रहल तह0 बाडी में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर वादी हिस्सा 1/3 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 2/3 का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे।

.... मुबलिग.................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर .... सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 07 साल 2016 को जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी

दस्तखत ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
मुद्दई			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वकालतनामा			महनताना वकील) रू0		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
महनतनामा वकील) रू0			फीस कमिश्नर		
[illegible] गवाहान			बाबत इजराय हुक्मनामा		
[illegible] कमिश्नर			मुतफर्रिक		
[illegible] इजराय हुक्मनामा					
[illegible]र्रिक					
मीजान			मीजान		

[illegible] इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च [illegible] चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

छोटेलाल बनाम रामफूल

1. छोटेलाल पुत्र परसा उम्र 78 जाति जाटव निवासी ग्राम रहल तह0 बाडी

वादी :–

बनाम

1. रामफूल पुत्र भजरू जाति धोबी निवासी ग्राम विधौली तह0 खेरागढ हाल निवासी नगला पदी विद्यानगर बडे हनुमान मन्दिर के सामने गली नं0 2 दयाल बाग आगरा (यूपी0)

प्रतिवादी :–

2. तहसीलदार बाडी भूस्वामी

तरतीवी प्रतिवादी :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री श्रीलाल रावत एड0
प्रतिवादीगण के वकील – श्री अशोक शर्मा एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 रा0का0 अधि0

दावा सं. 100/2015

दिनांक :– 13.07.2016

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–

विवादित आराजी ख0नं0 56 रकवा 1–08 विस्वा बांके ग्राम रहल तह0 बाडी में स्थित है। मद सं0 2 में सिजरा फरीकेन प्रस्तुत किया। विवादित आराजी पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसके पूर्व खातेदार वादी के पिता परसा पुत्र भीमा थे। जिनके मरने के बाद उक्त आराजी पर वादी एवं उसके भाई काबिज हुए। आज से करीब 19 वर्ष पूर्व दिनांक 19.01.1996 को उक्त विवादित आराजी में से वादी व उसके भाई द्वारा 2/3 हिस्से का वयनामा प्रति0 सं0 1 रामफूल को कर दिया। बाकी 1/3 आराजी पर दोनों भाई काबिज रहकर काश्त करते रहे। वादी की बाकी रही 1/3 हिस्से का बंटवारा वाहमी तौर पर वयनामा के समय ही हो गया। परन्तु प्रति0 सं0 1 ने राजस्व कर्मचारियों एवं सरपंच से साज कर सम्पूर्ण आराजी का दाखिला खारिज अपने नाम कर लिया। जो गलत व गैर कानूनी है। जबकि प्रति0 सं0 1 को 2/3 हिस्से का वयनामा किया गया था। इस प्रकार नामान्तकरण सं0 337 द्वारा हुआ दाखिला खारिज शून्य व अप्रभावी है। प्रति0 सं0 1 को वादी के 1/3 हिस्से पर दाखिला खारिज कराने का कोई अधिकार नहीं था। वादी के बडे भाई का देहान्त दिनांक 12.03.2012 को लाऔलाद हो चुका है। उसके मरने के बाद वादी अकेला कानूनी वारिसान है। दिनांक 28.08.2015 को वादी अपने हिस्से की आराजी को देखने गया तो मौके पर देखा कि प्रति0 व उसके लोग उक्त विवादित आराजी पर पत्थर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

मकान बनाने हेतु डाल रहे है। वादी ने उक्त लोगों से पत्थर डालने की मनाही की तो प्रति0 व उक्त लोगों ने कहा कि हमने सम्पूर्ण आराजी को पटवार रिकार्ड में अपने नाम करा लिया है। अब आपकी कोई आराजी नहीं है। अब हम आराजी में नींव खोदकर मकान बनायेंगे। हमे रोका तो जान से मार देंगे और वादी को उसके 1/3 हिस्से की आराजी से भाग दिया और कहा कि हम सम्पूर्ण आराजी को किसी दीगर लट्ठ व चलाव वाले व्यक्ति को रहन वय कर देंगे। जबकि सम्पूर्ण आराजी को प्रति0 को बेचने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जब वादी ने पटवारी हल्का से मालूम किया तो पता चला कि प्रति0 ने सम्पूर्ण आराजी को राजस्व कर्मचारियों से साज करके अपने नाम करा लिया है। जो गलत व गैर कानूनी एवं शून्य है। वादी ने उक्त दुरूस्ती को सही कराने के लिए दिनांक 28.09. 2015 को तहसीलदार बाडी को एक प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर उन्होंने पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली। जिसमें पटवारी हल्का ने अंकित किया कि उक्त आराजी में से 2/3 हिस्से का बेचान हुआ है परन्तु सहवन से भूलवश सम्पूर्ण आराजी का दाखिला खारिज कर दिया गया है, जो गलत है। विवादित आराजी में वादी इस आशय की घोषणा करा पाने का अधिकारी है कि वादी की बची हुई 1/3 आराजी में प्रति0 व उसके लोग किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें। आराजी को रहन वय मुन्तकिल न करें। प्रति0 द्वारा कराये गये सम्पूर्ण आराजी पर दाखिला खारिज को निरस्त किया जावे।

इस प्रकार दावा प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया कि :–

आराजी ख0नं0 56 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा बांके ग्राम रहल तह0 बाडी का नामान्तकरण सं0 337 द्वारा 2/3 हिस्से की बजाय प्रति0 के नाम सम्पूर्ण आराजी का दाखिला खारिज कर दिया है उसे दुरूस्त कर वादी के 1/3 हिस्से का पटवार रिकार्ड में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रति0 को पावन्द किया जावे कि वे वादी के 1/3 हिस्से में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें। ना ही किसी अन्य से करावें। वादी के 1/3 हिस्से का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कराया जाकर अलग खाता व लगान कायम कराया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अंकित किया है कि :–

दावा में जो शिजरा दर्शाया गया है वह अपूर्ण है। शिजरे में परसा की पुत्रियों को नहीं दर्शाया है। जो दावे के लिए आवश्यक पक्षकार है। वादी व उसके भाई हुक्मी से प्रति0 का विवादित आराजी सम्पूर्ण का सौदा हुआ था और प्रति0 ने सम्पूर्ण आराजी का वयनामा कराया था और वयनामा की दिनांक से प्रतिवादी सम्पूर्ण विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी का वयनामा की दिनांक से कोई कब्जा नहीं रहा। ना हीं वादी ने विवादित आराजी में काश्त ही की है। वयनामा के आधार पर दाखिला खारिज खोला गया था। जो कानूनन सही है। दिनांक 28.08.2015 को वादी व प्रतिवादी के मध्य कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। वादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर यह वाद पेश किया है। वादी ने वयनामा के आधार पर हुए दाखिला खारिज को आज तक किसी भी न्यायालय में चेलेन्ज नहीं किया है।।

अतः दावा वादी मय हर्जा खर्चा के निरस्त किया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली कोर्ट कैम्प कंचनपुर में रखी गई। वादी द्वारा कोर्ट कैम्प में एक प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह केवल अपना हिस्सा दुरूस्त

उपखण्डाधिकारी
(धौलपुर) राज

कराना चाहता है। बंटवारा नहीं चाहता है। इस बावत मौके पर ही तहसीलदार बाडी से जांच रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार बाडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया कि मुद्दई इन्द्राज सं0 337 को निरस्त करते हुए वादी हिस्सा 1/3 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 2/3 के नाम का इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित है।

हमने तहसीलदार बाडी से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात यह तथ्य उजागर हुआ कि पूर्व खातेदार हुक्मी व छोटे द्वारा प्रश्नगत आराजी में से 2/3 हिस्से का वयनामा रामफूल पुत्र भजरू को किया गया है। परन्तु पटवार कागजात में भूलवश सम्पूर्ण आराजी का दाखिला खारिज प्रति0 रामफूल के नाम दर्ज कर दिया गया है। जिसे वादी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर आराजी ख0नं0 56 रकवा 1 बीघा 08 विस्वा बांके ग्राम रहल तह0 बाडी में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व इन्द्राज को कलमजद कर वादी हिस्सा 1/3 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 2/3 का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावे। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प कंचनपुर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाडी